□□□□ □□□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□□
अतारांकित प्रश्न □ख्□□: 740
05 □□□□□, 2021 □□ □□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□ि□त□□ □□□□□□द्य□□□

740. श्री □□.□□□□□□:
श्री □□□ □□श्र □□□:
श्री □□□□ □□□□□□□ □□□□
श्री प्र□□□□□□ □□□□:
□श्री □□□□□ □ृ□□□
श्री □□□□□□ □□□□□□ □□□□:
श्री □□□ प्र□□□ ि□□:
श्री□□□ □□□ □रु□ □□□:
श्री□□□ □□□□□□ □म□□□□□
श्री राजेन्द्र धेडया गा□□□:
श्री □□□.□□. □□□□□□ □र्दु□:
□श्री ि□□□ □□□□□:
श्री □□□□□□□ ’□□.□□. □□□□’:
श्री□□□ □□□□ □□□□
क्□ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□ा □□□ □□□□ि□:

(□) क्□ सरकार ने देश के प्रत्येक जिले म □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ स□□□□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □ा □□□ि □□ □□□□ □□□□□ □□□ज को संख्या सुनिश्चित करने हेतु कोई □□□□□ निर्धारित किया है और कदम □□□□ □□ □□ □ि□ □□;□□ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों को वतमान स्थिति क्या □;

(□) □□ □ स□□□□□ ि□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ि □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ि □□ □□□□□रू □□□□□□□, □□□ प्र□□, □□□□□ष्ट्र □□ ि□□□□□□ □ □□ज□□/□□ □□ज□क्षेत्र-□□□, □□□-□□□, स□□□-□□□ ब्यौरा क्या है;

(□) □□ □□□□□ □□□□ि □□ □□□□□□□□□विनिर्दिष्ट निधि का ब्यौरा क्या है और हाल म □□□□ मेडिकल कॉलेजों को स□□□□□ □ा □□□□□□□ □□हु□ □□□क्ष□ □□□, □ि□ □□□ □□, □□ ब्□□□□ क्□□ □;

(□) क्□□ □□ □□ □ि□ □□□□□ □□□□□□□□□□ को मान्यता प्राप्त होने को तिथि से □□□ □□ि □□□□□□ □□□□ पाठ्यक्रमों को शुरू करना □□□ □□□□□ □□□□ि □□□□ □□□□□□ □□ ि□□□ □;□□□

(□) □ि□ □□,□ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या □□□□ □ि□ □□ि, □□ □□□□क्□□ □□□□ □?

<u>□त्त□</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

([illegible]) [illegible]([illegible]) [illegible] को स्थापना के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय "[illegible]/[illegible]" के लिए एक कद्रीय प्रायोजित योजना चलाता है। इस योजना के तीन चरणों के तहत कुल 157 [illegible]

[illegible]-[illegible] मेडिकल कॉलेजों का निमाण, राज्यों को कॉलेजों का प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए निधि का उपयोग और उसको योजना के संबंध म प्रगति को निगरानी करने के लिए नियमति अंतरालों पर संबंधित राज्यों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाता है। इन कॉलेजों को खोलने के लिए निर्धारित निधि के साथ 157 कॉलेजों का [illegible]-I [illegible], देश म मेडिकल सीटों को संख्या म वृद्धि करने के लिए कद्र सरकार ने विभिन्न कदम उठाएं ह जिन्म निम्नलिखित सम्मिलित ह:

i. कद्र प्रायोजित स्कीम एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों म वृद्धि करने के लिए वतमान राज्य सरकारी/कद्र सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत करना।

ii. [illegible], [illegible], [illegible], बिस्तरों को संख्या, उपकरण और अन्य अवसंरचना के संबंध म मेडिकल कॉलेजों को स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानदंड़।

iii. एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम प्रवेश क्षमता 150 से बढ़ाकर 250 करना।

iv. [illegible]/[illegible]/[illegible]

v. मेडिकल कॉलेजों म अध्यापकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्रोजगार हेतु आयु-[illegible] 70 [illegible]

vi. पीजी सीटों को संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात को परिवर्तित किया गया है।

vii. [illegible] एमबीबीएस पाठ्यक्रम को मान्यता/मान्यता के जारी रहने को तारीख से तीन वर्षों को अवधि के अंदर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ कर।

viii. कॉलेजों को चौथे नवीकरण के समय नैदानिक विषयों म स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने को अनुमति है। इससे एक वष से अधिक समय म स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने को प्रक्रिया म उन्नति होगी।

ix. [illegible]पयोग को रोकने के लिए यदि मेडिकल कॉलेज आवेदित भर्ती को न्यूनतम निर्धारित अपेक्षाओं को पूर्ति नहीं कर[illegible] मेडिकल कॉलेज को सीटों को कम संख्या देने हेतु विनियमों म प्र[illegible]ताकि मानव संसाधन व्यथ न हो[illegible]

x. एक संघ (2 अथवा 4 निजी संगठनों के समूह) को मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को अनुमति दी गई है।

xi. पीपीपी मोड म मेडिकल कॉलेजों को स्थापना को बढ़ावा देने के लिए व्यवहायता अंतर निधियन योजना शुरू को गई है।

मौजूदा मेडिकल कॉलेजों म पीजी मेडिकल सीटों के साथ उनका राज्यवार विवरण अनुलग्नक-II [illegible]

([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] बोड ने कद्रीय सरकार के पूव अनुमोदन से स्न[illegible] चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 म यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया था कि [illegible] प्र[illegible]/[illegible] स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करना [illegible]

[illegible]-I

157 कॉलेजों सहित इन कॉलेजों को आरंभ करने के लिए निर्धारित निधि तथा कॉलेजों का राज्यवार विवरण

[illegible]-I

[illegible]

क्र. [illegible]	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		[illegible]	[illegible]	[illegible] 60% [illegible] ([illegible] राज्यों के लिए 90%)
1	[illegible]	1	पोर्ट ब्लेयर	189.00	113.40
2	[illegible]	2	[illegible]	189.00	170.10
3	[illegible]	3	[illegible]	189.00	170.10
		4	[illegible]	189.00	170.10
		5	[illegible]	189.00	170.10
		6	[illegible]	189.00	170.10
4	[illegible]	7	[illegible]	189.00	113.40
		8	[illegible] ([illegible])	189.00	113.40
		9	[illegible]	189.00	113.40
5	[illegible]	10	[illegible]	189.00	113.40
		11	[illegible]	189.00	113.40
6	[illegible]	12	[illegible]	189.00	170.10
		13	[illegible]	189.00	170.10
		14	[illegible] ([illegible])	189.00	170.10
7	[illegible]	15	[illegible]	189.00	113.4
8	[illegible]	16	[illegible]	189.00	113.40
		17	[illegible]	189.00	113.40
		18	[illegible] ([illegible])	189.00	113.40
9	जम्मू और कश्मीर	19	[illegible]	189.00	170.10
		20	[illegible]	189.00	170.10
		21	[illegible]	189.00	170.10

		22	[illegible]	189.00	170.10
		23	[illegible]	189.00	170.10
10	[illegible] प्र[illegible]	24	[illegible]	189.00	113.40
		25	खंड [illegible]	189.00	113.40
		26	[illegible]	189.00	113.40
		27	[illegible]	189.00	113.40
		28	[illegible]	189.00	113.40
		29	[illegible]	189.00	113.40
		30	[illegible]	189.00	113.40
11	[illegible]	31	[illegible]	189.00	113.40
12	[illegible]	32	वेस्ट गारो हिल्स ([illegible])	189.00	170.10
13	[illegible]	33	फ[illegible]	189.00	170.10
14	[illegible]	34	[illegible] अ[illegible]	189.00	170.10
15	[illegible]	35	[illegible]	189.00	113.40
		36	[illegible] ([illegible])	189.00	113.40
		37	[illegible]	189.00	113.40
		38	[illegible]	189.00	113.40
		39	[illegible]	189.00	113.40
16	[illegible]	40	[illegible] [illegible]	189.00	113.40
17	[illegible]	41	[illegible]	189.00	113.40
		42	[illegible]	189.00	113.40
		43	[illegible]	189.00	113.40
		44	च[illegible]	189.00	113.40
		45	[illegible]	189.00	113.40
		46	[illegible]	189.00	113.40
		47	[illegible]	189.00	113.40
18	[illegible] प्र[illegible]	48	[illegible]	189.00	113.40
		49	फै [illegible]	189.00	113.40

		50	[illegible]	189.00	113.40
		51	[illegible]	189.00	113.40
		52	[illegible]	189.00	113.40
19	[illegible]	53	[illegible]	189.00	170.10
20	[illegible]	54	[illegible] ([illegible])	189.00	113.40
		55	[illegible]	189.00	113.40
		56	[illegible]	189.00	113.40
		57	[illegible]	189.00	113.40
		58	[illegible], [illegible]	189.00	113.40
	[illegible]			10962.00	7541.10

[illegible]-II

[illegible] क्र. [illegible]

क्र.[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	केंद्रीय भाग
1	[illegible]	1	[illegible]	250	150
		2	[illegible]	250	150
		3	[illegible]	250	150
		4	[illegible]	250	150
		5	[illegible]	250	150
2	[illegible]	6	[illegible]	250	150
		7	[illegible] ([illegible])	250	150
3	[illegible]	8	[illegible]	250	150
4	[illegible]	9	[illegible]	250	150
5	[illegible]	10	[illegible]	250	150
6	[illegible]	11	[illegible]	250	150
		12	[illegible]	250	150
		13	[illegible]	250	150
		14	[illegible]	250	150
		15	[illegible] ([illegible])	250	150
		16	[illegible]	250	150
		17	[illegible]	250	150
		18	[illegible]	250	150
7	[illegible]	19	[illegible]	250	150
		20	[illegible]	250	150
		21	[illegible]	250	150
		22	[illegible]	250	150

		23	[illegible]	250	150
8	सिक्किम	24	[illegible]	250	225
[illegible]				6000	3675

[illegible]-III

[illegible] रु. [illegible]

क्र. [illegible]	[illegible]	क्र. [illegible]	[illegible]	[illegible]	केंद्रीय भाग
1	[illegible]	1	[illegible]	325	195
		2	[illegible]	325	195
		3	[illegible]	325	195
2	[illegible]	4	[illegible]	325	292.5
3	[illegible]	5	[illegible]	325	195
		6	[illegible]	325	195
		7	[illegible]	325	195
4	[illegible]	8	[illegible]	325	195
		9	[illegible]	325	195
		10	[illegible]	325	195
		11	[illegible]	325	195
		12	[illegible]	325	195
5	जम्मू और कश्मीर	13	[illegible]	325	292.5
		14	[illegible] ([illegible])	325	292.5
6	[illegible]	15	चिक्कमगलुरु	325	195
		16	[illegible]	325	195
		17	[illegible]	325	195
		18	[illegible]	325	195
7	[illegible]	19	[illegible]	325	292.5
8	[illegible]	20	[illegible]	325	195
		21	[illegible]	325	195
		22	[illegible]	325	195
		23	[illegible]	325	195
		24	[illegible]	325	195
		25	[illegible]	325	195

9	[illegible]	26	[illegible]	325	195
10	[illegible]	27	[illegible]	325	292.5
11	[illegible]	28	[illegible]	325	292.5
12	[illegible]	29	[illegible]	325	195
13	[illegible]	30	[illegible]	325	195
		31	[illegible]	325	195
14	[illegible]	32	[illegible]	325	195
		33	[illegible]	325	195
		34	[illegible]	325	195
		35	[illegible]	325	195
		36	[illegible]	325	195
		37	[illegible]	325	195
		38	[illegible]	325	195
		39	[illegible]	325	195
		40	[illegible]	325	195
		41	[illegible]	325	195
		42	[illegible]	325	195
		43	[illegible]	325	195
		44	[illegible]	325	195
		45	[illegible]	325	195
		46	[illegible]	325	195
15	[illegible]	47	रुद्रपुर, [illegible]	325	292.5
		48	[illegible]	325	292.5
		49	[illegible]	325	292.5
16	[illegible]	50	[illegible]	322.79	193.67
		51	[illegible]	325	195
		52	[illegible]	324.98	194.99

		53	[illegible]	325	195
		54	[illegible]	325	195
		55	[illegible]	324.22	194.53
		56	[illegible] ([illegible])	325	195
		57	[illegible]	325	195
		58	[illegible] ([illegible])	325	195
		59	[illegible]	325	195
		60	[illegible]	325	195
		61	[illegible]	323.42	194.05
		62	[illegible]	325	195
		63	[illegible]	325	195
17	[illegible]	64	[illegible]	325	195
		65	[illegible]	325	195
		66	[illegible]	325	195
		67	[illegible]	325	195
		68	[illegible]	325	195
		69	[illegible]	325	195
		70	[illegible]	325	195
		71	तिरुवल्लुर	325	195
		72	नागपट्टिनम	325	195
		73	[illegible]	325	195
		74	[illegible]	325	195
18	[illegible]	75	[illegible]	325	195
	[illegible]			24370.41	15499.7

देश में पीजी सीटों के साथ मेडिकल कॉलेजों की संख्या

क्र. [illegible]	[illegible]	मेडिकल कॉलेजों की [illegible]	कुल पीजी सीटों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	31	2371
2	[illegible]	1	0
3	[illegible]	8	715
4	अरुणाचल प्रदेश	1	0
5	[illegible]	18	856
6	[illegible]	1	557
7	[illegible]	10	206
8	[illegible]	1	0
9	दिल्ली	10	2715
10	[illegible]	1	119
11	[illegible]	30	2127
12	[illegible]	12	554
13	[illegible]	7	318
14	जम्मू और कश्मीर	9	568
15	[illegible]	8	227
16	[illegible]	61	5379
17	[illegible]	31	1587
18	[illegible]	23	1548
19	[illegible]	60	4922
20	[illegible]	2	210
21	[illegible]	1	35
22	[illegible]	1	0
23	[illegible]	0	0
24	[illegible]	12	852
25	[illegible]	9	817
26	[illegible]	11	734

27	राजस्थान	24	1841
28	सिक्किम	1	22
29	तमिलनाडु	53	4255
30	तेलंगाना	34	2237
31	त्रिपुरा	2	84
32	उत्तर प्रदेश	57	2836
33	उत्तराखंड	6	1732
34	पश्चिम बंगाल	26	1758
	कुल	562	42182

इसके अलावा देश में 9795 डीएनबी/एफएनबी सीट तथा 2432 सीपीएस डिप्लोमा सीट उपलब्ध हैं।

******